


उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
(सहकारिता अनुभाग)  
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।



संख्या 1157 /सह./

दिनांक 25-3-2010

इंचार्ज कम्प्यूटर सेल  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद  
मुख्यालय, लखनऊ

कृपया अपने पत्र संख्या 1402/कम्प्यूटर दिनांक 12.03.10 एवं पत्रांक 1407/कम्प्यूटर दिनांक 18.03.10 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो इस आशय से प्रेषित किया गया था कि अपने-अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित FAQs (Frequently Asked Questions) अर्थात् प्रश्न एवं उनके उत्तर सरल भाषा में तैयार कराकर कम्प्यूटर सेल को उपलब्ध करा दें।

अवगत कराना है कि सहकारिता अनुभाग में मुख्यरूप से समितियों का निबन्धन, निर्वाचन एवं उनके सम्बन्ध में दायर किये गये मध्यस्थवाद का कार्य किया जाता है।

अतः निबन्धन, निर्वाचन एवं मध्यस्थवाद से सम्बन्धित FAQs (Frequently Asked Questions) अर्थात् प्रश्न एवं उनके उत्तर तैयार कर प्रेषित है।

संलग्नक— यथोक्त।

भवदीय,

25/3/10

(श्रीकान्त गोस्वामी)

सहायक आवास आयुक्त/सहायक निबन्धक





अपर निबन्धक (विधि) सहकारी समितियों उ० प्र० लखनऊ को प्रार्थना पत्र सन्दर्भित किया जायेगा तथा 229 (घ) के अन्तर्गत रू० 3,00,000/- के ऊपर के वादों के लिए निबन्धक सहकारी समितियों उ० प्र० लखनऊ को प्रार्थना पत्र सन्दर्भित किये जाने का प्राविधान है।

**प्रश्न-5 वाद दाखिल का विधिक शुल्क कितना है तथा किस स्तर पर जमा होगा।**

**उत्तर** किसी विवाद के निपटारे के लिए धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन किसी अभिदेश के लिए नियम 358 में देय विधिक शुल्क प्राविधानित है। जिसके अनुसार मुख्यतः सम्पत्ति के मूल्य का सन्दर्भ में अधोलिखित सहकारिता विभाग के लेखा शीर्षक में सम्पत्ति मूल्य का 1 प्रतिशत की दर से देय होगा किन्तु जहाँ अभिदेश नियम 229 के उपनियम (2) या उपनियम (3) के अन्तर्गत आता है तो वहाँ रू० 500/- किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ वादी के अनुरोध पर धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन मध्यस्थ मण्डल संघटित किया जाय, वहाँ शुल्क की धनराशि वह होगी जो पूर्ववर्ती संगत खण्ड के अधीन देय हो और उसके अतिरिक्त उसका दस प्रतिशत या पचास रुपये, इसमें जो भी अधिक हो, देय होगा। वाद शुल्क सहकारिता विभाग के निम्नलिखित लेखा शीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा। जिसकी मूल प्रति वाद प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

लेखा शीर्षक का विवरण-

0425 सहकारिता

00 ---

800 अन्य प्राप्तियाँ

05 अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ

0000000

उ०प्र०. सरकार, सहकारिता अनुभाग के अधिसूचना संख्या 1789/49-2-2006-148 (5) 2006 दिनांक 27.07.06 द्वारा शासन की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 10.08.89 में शब्द उप आवास आयुक्त/उप निबन्धक जहाँ कहीं पर हो के स्थान पर शब्द संयुक्त आवास आयुक्त/संयुक्त निबन्धक रख दिये जाने का संशोधन किया गया। फलस्वरूप उप आवास आयुक्त/उप निबन्धक के स्थान पर अब संयुक्त आवास आयुक्त/संयुक्त निबन्धक पढ़ा जायेगा और उन्हें प्रकरण सन्दर्भित किया जायेगा।

**प्रश्न-6 वाद प्रार्थना पत्र के साथ कौन-कौन से प्रपत्र संलग्न होंगे।**

**उत्तर** (1) यदि सदस्य द्वारा वाद दाखिल किया जा रहा है तो उसके द्वारा सदस्यता रसीद, अंशधन प्रमाण पत्र, भूखण्ड आवंटन प्रपत्र/निबन्धित विक्रय विलेख की छाया प्रतियाँ, वाद शुल्क जमा ट्रेजरी चालान की मूल प्रति।

(2) यदि समिति द्वारा वाद दाखिल किया जाता है

दावे के पूर्व सदस्य को दी गयी नोटिस व सदस्य से सम्बन्धित अन्य आवश्यक प्रपत्र, वाद शुल्क जमा ट्रेजरी चालान की मूल प्रति, समिति की प्रबन्ध कमेटी का प्रस्ताव

**प्रश्न-7 वादों के अभिनिर्णय की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने एवं उसके लिए निर्धारित शुल्क का क्या प्राविधान है ?**

**उत्तर:-** वादों में पारित निर्णयों की एक-एक प्रतियाँ उभयपक्षों को प्रेषित की जाती हैं किन्तु यदि किसी पक्ष को प्रमाणित प्रति की आवश्यकता है तो वह नियम 374 (ड.) के अन्तर्गत 5 रुपये प्रति पृष्ठ किन्तु कम से कम 25 रुपये निर्धारित है। जो ट्रेजरी चालान के माध्यम से उपर्युक्त वर्णित लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी तथा उसकी मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

